24

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 970-पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 5-2-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 305/2009-10/अपील ।

1-नर्मदा प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0श्री राजाराम पाण्डेय
2-श्री कृष्ण पाण्डेय पुत्र स्व0श्री राजाराम पाण्डेय
3-शिवनारायण पाण्डेय पुत्र स्व0श्री राजाराम पाण्डेय
निवासी ग्राम डबरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर

.................आवेदकगण

विरूद्ध

1-विकास पुत्र श्री जगदीश
2-महेश पुत्र ओंकार प्रसाद
3-म0प्र0शासन
4-अशोक कुमार दुबे पुत्र अयोध्या प्रसाद दुबे
निवासी जंगीपुरा डबरा जिला ग्वालियर

..................अनावेदकगण

श्री मुकेश भटेले, अभिभाषक-आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/8/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-2-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम डबरा की भूमि सर्वे क्रमांक 38 रकबा 0.585 में से रकबा

0.376 हेक्टेयर पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की गई । इस आवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/08-09/अ-6 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 10-2-09 को आदेश पारित कर आवेदकगण के पक्ष में नामान्तरण किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29-1-2010 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5-2-2014 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा आवेदक का आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन निरस्त करने में भूल की है, क्योंकि उक्त आवेदन पत्र के साथ जो व्यवहार न्यायालय की डिक्री एवं तहसील न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया गया था जिनसे यह प्रमाणित होता था कि उर्मिला जिसके द्वारा क्रेता अशोक कुमार दुबे को प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की गई । विक्रेता उर्मिला देवी ने अपने समस्त स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के हक आवेदकगण के हित में त्याग कर दिये थे जब उर्मिला देवी के हित समाप्त हो गये थे तो उर्मिलादेवी को अशोक कुमार के हित में विक्रय पत्र दिनांक 25-8-01 संपादित करने का अधिकार ही नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित कर प्रतिवेदन संयुक्त कलेक्टर जिला ग्वालियर को भेजा गया था संयुक्त कलेक्टर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण करना चाहिये था किन्तु उनके द्वारा आदेश का परीक्षण करते हुये प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान कर दी जो कि नहीं करनी चाहिये थी इस कारण अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया हैइसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्यहै । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू-अभिलेख में विक्रेता अशोक कुमार दुबे का नाम ही नहीं था । ऐसी स्थिति में आवेदकगण की आपत्ति पर तहसील न्यायालय का कर्त्तव्य था कि वह उन्हें अपना पक्ष/साक्ष्य रखने का पूर्ण अवसर देते । प्रकरण में उर्मिला देवी भी एक महत्वपूर्ण पक्षकार है, लेकिन उन्हें किसी भी न्यायालय में सुना नहीं गया है । प्रथमदृष्टया तीनों न्यायालयों ने सिविल न्यायालय के आदेश की भी गलत व्याख्या की है । सिविल न्यायालय के दिनांक 29-7-2008 के आदेश में सिविल न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13-11-2004 को पलटा नहीं गया है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण पुन: सुनवाई कर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-2-2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-1-2010 व तहसीलदार डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक10-2-2009 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुन: सुनवाई कर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर